



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25092024-257490
CG-MH-E-25092024-257490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946

No. 755]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 सितम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/206.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क (21ए) के साथ पठित धारा 31 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11 की उप-धारा (1) एवं धारा 11क (11ए) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रावधान असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के उन प्रस्तावों (ऑफर) के मामले में लागू होंगे, जिनके संबंध में आरंभिक सार्वजनिक घोषणा इन विनियमों के लागू होने की तारीख को या उसके बाद की जाए:

परंतु यह और कि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से साठवें दिन तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 के उन प्रावधानों के अनुसार असूचीबद्धता का प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) ला सकेगा, जिनके अनुसार वह इन विनियमों के लागू होने से पहले लाता था।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“ठक) “असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की तय कीमत” का अर्थ है - वह तय कीमत, जो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) कंपनी के इक्विटी शेयरों को तय कीमत की प्रक्रिया (फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस) अपनाकर असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का प्रस्ताव करते समय देने की पेशकश कर रहा हो;”

ii. मौजूदा खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“ड) “निम्नतम कीमत” (फ्लोर प्राइस) का अर्थ है - वह न्यूनतम कीमत, जो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का प्रस्ताव करते समय इन विनियमों के विनियम 19क के अनुसार देने की पेशकश कर रहा हो;”

iii. खंड (द) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“दक) इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का अर्थ है - वह कंपनी जिसने सूचीबद्ध (लिस्टिड) या असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों में निवेश किए हुए हों या फिर जिसके पास इन निवेशों से भिन्न दूसरी आस्तियाँ (असेट) हों;”

II. विनियम 14 में,

i. मौजूदा उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) अर्जनकर्ता (एक्वायरर), शेयरधारकों की मंजूरी मिलने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (कमर्शियल बैंक) में एक एस्क्रो अकाउंट (जिस पर ब्याज मिलता हो) खुलवाएगा, और उसमें असूचीबद्धता के प्रस्ताव के दौरान शेयरधारकों को अदा की जाने वाली कुल रकम (कुल प्रतिफल / टोटल कन्सिडरेशन) के पच्चीस प्रतिशत के बराबर की रकम जमा कराएगा, जिसकी गणना इस प्रकार की जाएगी-

i. यदि असूचीबद्धता का प्रस्ताव रिवर्स बुक बिलिंग की प्रक्रिया अपनाकर लाया जा रहा हो; तो ऐसे में असूचीबद्धता के प्रस्ताव के दौरान शेयरधारकों को अदा की जाने वाली कुल रकम (टोटल कन्सिडरेशन) की गणना करने के लिए ‘आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों’ (पब्लिक शेयरहोल्डर) के पास पड़े मौजूदा इक्विटी शेयरों की संख्या को निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या फिर सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) [यदि इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (4) के अनुसार अर्जनकर्ता द्वारा कोई सांकेतिक कीमत दी गई हो], जो भी अधिक हो, से गुणा किया जाएगा;

ii. यदि असूचीबद्धता का प्रस्ताव तय कीमत की प्रक्रिया अपनाकर लाया जा रहा हो; तो ऐसे में असूचीबद्धता के प्रस्ताव के दौरान शेयरधारकों को अदा की जाने वाली कुल रकम (टोटल कन्सिडरेशन) की गणना करने के लिए ‘आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों’ (पब्लिक शेयरहोल्डर) के पास पड़े मौजूदा इक्विटी शेयरों की संख्या को उस तय कीमत से गुणा किया जाएगा, जिसकी पेशकश असूचीबद्धता का प्रस्ताव लाते समय अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा की जा रही हो।”

ii. मौजूदा उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) इन विनियमों के विनियम 15 के तहत विस्तृत सार्वजनिक घोषणा करने से पहले, अर्जनकर्ता एस्क्रो अकाउंट में, असूचीबद्धता के प्रस्ताव के दौरान शेयरधारकों को अदा की जाने वाली कुल रकम (टोटल कन्सिडरेशन) में से शेष रकम {यानि कि असूचीबद्धता के प्रस्ताव के दौरान शेयरधारकों को अदा की जाने वाली कुल रकम (टोटल कन्सिडरेशन) की रकम [जिसकी गणना उप-विनियम (1) के अनुसार की गई हो] का पचहत्तर प्रतिशत} जमा कराएगा।”

III. विनियम 17 में,

- i. शीर्षक में, शब्दों तथा चिह्नों "बोली लगाने (बिडिंग)" के बाद तथा शब्दों "की व्यवस्था" के पहले चिह्न तथा शब्द "/ शेयर सौंपे जाने (टेंडरिंग)" जोड़े जाएंगे;
- ii. उप-विनियम (1) में, शब्दों "बोली लगाने की अवधि" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "असूचीबद्धता का प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) यदि रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया अपनाकर लाया जा रहा हो तो बोली लगाने (बिडिंग) की अवधि या फिर यदि तय कीमत की प्रक्रिया अपनाकर लाया जा रहा हो तो शेयर सौंपे जाने (टेंडरिंग) की अवधि" आ जाएंगे;
- iii. उप-विनियम (2) में, शब्द "अर्जनकर्ता" के बाद चिह्न तथा शब्द "(एक्वायरर)" आ जाएंगे।
- iv. उप-विनियम (3) में,-
 - क) शब्दों "रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया" के स्थान पर चिह्न तथा शब्द ", यथास्थिति, रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया या तय कीमत की प्रक्रिया" आ जाएंगे;
 - ख) शब्दों तथा चिह्नों "बोली लगाने (बिडिंग) की अवधि" के बाद तथा शब्दों "के समाप्त होने से" के पहले शब्द तथा चिह्न "या शेयर सौंपे जाने (टेंडरिंग) की अवधि" जोड़े जाएंगे;
- v. मौजूदा उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्-

"(4) अर्जनकर्ता, प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के जरिए, बोली लगाने (बिडिंग) की अवधि या शेयर सौंपे जाने (टेंडरिंग) की अवधि के समाप्त होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, उन्हीं समाचारपत्रों में एक सार्वजनिक घोषणा जारी करेगा, जिनमें इन विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (1) के तहत विस्तृत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी, और उसमें यह बताएगा कि असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) हेतु अपनाई गई तय कीमत की प्रक्रिया या रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया सफल रही या विफल रही, और साथ ही यदि रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया सफल रहे तो वह यह भी बताएगा कि उसने आखिरकार क्या 'निर्धारित कीमत' स्वीकार की है।"

IV. विनियम 19 में,

- i. शीर्षक में शब्दों "रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की प्रक्रिया" आ जाएंगे;
- ii. उप-विनियम (1) में,
 - क) शब्दों "जिन सार्वजनिक शेयरधारकों" के स्थान पर शब्द "आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले जिन शेयरधारकों" आ जाएंगे;
 - ख) शब्दों "उन्हें उसी प्रकार" के बाद तथा शब्दों "रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया" से पहले शब्द "तय कीमत की प्रक्रिया में या" जोड़े जाएंगे;
- iii. उप-विनियम (3) में,
 - क) शब्दों तथा चिह्नों "निक्षेपागार रसीदों (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) के किसी धारक को" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) जिसके पास हों उसे" आ जाएंगे;
 - ख) शब्दों "रिवर्स बुक बिलिंडिंग" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)" आ जाएंगे;
 - ग) परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों "निक्षेपागार रसीदों (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) का कोई धारक" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) जिसके पास हो वह" आ जाएंगे, और शब्दों "रिवर्स बुक बिलिंडिंग" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)" आ जाएंगे;

V. विनियम 19 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस)

19क (1) जिन इक्विटी शेयरों को, यथास्थिति, रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया या तय कीमत की प्रक्रिया अपनाकर असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का प्रस्ताव हो, उन इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) निम्नलिखित में से जो भी सबसे ज्यादा हो उससे कम नहीं होगी:

- (i) अर्जनकर्ता और उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा, संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) से ठीक पहले के 52 सप्ताहों के दौरान, अर्जन (एक्विजिशन) हेतु अदा की गई या अदा की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (मात्रा भारित औसत कीमत);
- (ii) अर्जनकर्ता और उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा, संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) से ठीक पहले के 26 सप्ताहों के दौरान, किसी अर्जन (एक्विजिशन) हेतु अदा की गई या अदा की जाने वाली अधिकतम कीमत;
- (iii) किसी स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक (वैल्यूअर) द्वारा निकाला गया एडजस्टेड बुक वैल्यू (जो समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर निकाला गया हो):
परंतु यह कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने के मामले में एडजस्टेड बुक वैल्यू का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- (iv) जिस स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो (बशर्ते कि उन शेयरों में बार-बार ट्रेडिंग हुई हो), उस स्टॉक एक्सचेंज में हुई ट्रेडिंग के अनुसार संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) से ठीक पहले के ट्रेडिंग के 60 दिनों की अवधि की वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस;
- (v) यदि शेयरों में बार-बार ट्रेडिंग न हो रही हो, तो ऐसे में कंपनी जिस उद्योग से जुड़ी हुई हो उसी उद्योग की कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए किसी स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों [जैसे कि बही-मूल्य (बुक वैल्यू), कंपेरेबल ट्रेडिंग मल्टीपल्स और आम तौर पर अपनाए जाने वाले मूल्यांकन के कोई दूसरे मापदंड (कस्टमरी वैल्यूएशन मेट्रिक्स)] के आधार पर निकाली गई कीमत।

स्पष्टीकरण: कंपनी की एडजस्टेड बुक वैल्यू निम्नानुसार निकाली जाएगी –

ए + बी + सी + डी – एल, जहाँ,

‘ए’ – यह तुलनपत्र (बैलेंस शीट) के अनुसार सभी आस्तियों (असेट्स) [आभूषण, कलाकृति, शेयरों एवं प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) और अचल संपत्ति को छोड़कर] का बही-मूल्य (बुक-वैल्यू) होगा, जिसमें से उस आस्ति (असेट) के तौर पर दिखाई गई कोई रकम घटा दी जाए जो किसी आस्ति (असेट) का सही मूल्य न दर्शाती हो, जैसे कि आस्थगित व्यय (डेफर्ड एक्सपेंडिचर) की शेष (अनअमॉर्टाइज्ड) रकम;

‘बी’ – यह वह कीमत होगी, जो किसी रजिस्टर मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के हिसाब से आभूषण और कलाकृति को बाजार में बेचने पर मिल सकती हो;

‘सी’ – यह उन शेयरों और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का उचित बाजार मूल्य होगा, जिनमें ट्रेडिंग न होती हो / बार-बार ट्रेडिंग न होती हो, जो रजिस्टर मूल्यांकक द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही मूल्यांकन की पद्धतियों के अनुसार निकाला जाएगा। यदि किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों और प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग हो रही हो और बार-बार हो रही हो, तो उन शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर मूल्यांकन किए जाने की तारीख को उस स्टॉक एक्सचेंज में वे खरीदे-बेचे गए हों;

‘डी’ – यह वह मूल्य होगा, जो सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प-शुल्क अदा किए जाने के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया हो या निर्धारित किया गया हो या निर्धारित किया जा सकता हो। यदि अचल संपत्ति भारत के बाहर स्थित हो, तो ऐसे में उस संपत्ति का बाजार मूल्य स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक द्वारा निकाला जाएगा;

‘एल’ – यह तुलनपत्र (बैलेंस शीट) में दिखाई गई देनदारियों का बही-मूल्य (बुक वैल्यू) होगा, किंतु इसमें निम्नलिखित रकम शामिल नहीं होगी, अर्थात्:-

- इक्विटी शेयरों के संबंध में समादत्त पूँजी (पेड अप कैपिटल);
- प्रेफरेंस शेयरों (अधिमानी शेयर) और इक्विटी शेयरों पर लाभांश (डिविडेंड) अदा करने हेतु अलग से रखी गई रकम, जहाँ उन पर लाभांश की घोषणा अंतरण (ट्रांसफर) किए जाने की तारीख से पहले कंपनी की आम बैठक में न की गई हो;
- आरक्षितियों (रिज़र्व) और अधिशेष (सरप्लस) की रकम, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, फिर भले ही रकम ऋणात्मक ही क्यों न निकले, किंतु इसमें वह रकम शामिल नहीं होगी जो मूल्यहास हेतु अलग रखी गई हो;
- वह रकम, जिसका प्रावधान देनदारियाँ (तय देनदारियों को छोड़कर) अदा करने के लिए किया गया हो;
- आकस्मिक देनदारियाँ अदा करने हेतु रखी गई कोई रकम (क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के संबंध में अदा किए जाने वाले लाभांश की बकाया रकम को छोड़कर)।

(2) निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) निकालने हेतु संदर्भ तारीख –

- (i) उस मामले में अर्जनकर्ता द्वारा की गई आरंभिक सार्वजनिक घोषणा की तारीख मानी जाएगी, जब वह घोषणा बाजार बंद होने से पहले जारी की गई हो; या
- (ii) उस मामले में आरंभिक सार्वजनिक घोषणा जारी किए जाने की तारीख के ठीक अगले ट्रेडिंग के दिन की तारीख मानी जाएगी, जब वह घोषणा बाजार बंद होने के बाद जारी की गई हो या फिर उस दिन की गई हो जिस दिन बाजार में ट्रेडिंग न हुई हो।”

VI. विनियम 20 में,

i. उप-विनियम (1) में,

- क) शब्दों, चिहनों तथा अंक “उप-विनियम (2) के तहत” के स्थान पर शब्द तथा अंक “इन विनियमों के विनियम 19क के अनुसार” आ जाएँगे;
- ख) चिहनों तथा शब्दों “, और प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक उसकी जानकारी विस्तृत सार्वजनिक घोषणा और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में देगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “और जिसकी जानकारी विस्तृत सार्वजनिक घोषणा और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक द्वारा दी जाएगी” आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (2) और (3) हट जाएँगे;

iii. उप-विनियम (4) में, शब्दों, चिहनों तथा अंक “उप-विनियम (2)” के स्थान पर शब्द तथा अंक “इन विनियमों के विनियम 19क” आ जाएँगे;

VII. विनियम 20 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

“असूचीबद्धता की तय कीमत

20क. (1) यदि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) तय कीमत की प्रक्रिया अपनाकर असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का प्रस्ताव लाया हो, तो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को 'असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की तय कीमत' (फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस) बतानी होगी, जो विनियम 19क के अनुसार निकाली गई निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) से कम से कम 15 प्रतिशत ज्यादा होगी।

(2) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) तय कीमत की प्रक्रिया अपनाकर असूचीबद्धता का प्रस्ताव केवल तभी ला सकेगा, जब कंपनी के शेयरों में बार-बार ट्रेडिंग होती हो (कंपनी के शेयर बारंबार व्यापारित शेयर हों)।

(3) यदि प्रस्ताव (ऑफर) लागू होने के बाद अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के शेयरों की संख्या [‘आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों’ (पब्लिक शेयरहोल्डर) द्वारा सौंपे गए शेयरों को मिलाकर] नब्बे प्रतिशत तक पहुँच जाए, तो ऐसे में उसे उसके द्वारा तय कीमत पर लागू असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के अंतर्गत सौंपे गए इक्विटी शेयरों को स्वीकार करना ही होगा।”

VIII. विनियम 21 में, खंड (क) में, शब्दों “निर्धारित कीमत” के बाद और शब्दों “या काउंटर ऑफर पर मिलने वाली कीमत” से पहले, शब्द “या तय कीमत” जोड़े जाएँगे;

IX. विनियम 22 में,

i. उप-विनियम (3) में, शब्द “यदि” के बाद और शब्दों “निर्धारित कीमत” से पहले, शब्द “रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के अनुसार निकाली गई” जोड़े जाएँगे;

ii. मौजूदा उप-विनियम (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएँगे, अर्थात्,-

“(4) यदि रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया अपनाकर असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का प्रस्ताव लाया जा रहा हो, तो ऐसे में अर्जनकर्ता (एक्वायरर) ‘आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों’ (पब्लिक शेयरहोल्डर) को काउंटर-ऑफर दे सकेगा, बशर्ते कि,-

- i. प्रस्ताव (ऑफर) लाए जाने के बाद अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के शेयरों की संख्या [‘आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों’ (पब्लिक शेयरहोल्डर) द्वारा सौंपे गए शेयरों को मिलाकर] पचहत्तर प्रतिशत से कम न हो; और
- ii. ‘आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों’ (पब्लिक शेयरहोल्डर) द्वारा कम से कम पचास प्रतिशत शेयर सौंपे गए हों।

(4क) उप-विनियम (4) के अनुसार दिया जाने वाला काउंटर ऑफर बोली लगाने की अवधि के समाप्त होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर दिया जा सकेगा, और उसके बाद अर्जनकर्ता (एक्वायरर) इन विनियमों की अनुसूची-IV में दी हुई समय-सीमाओं के अनुसार इन विनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

(5) काउंटर ऑफर में जिस कीमत की पेशकश की जाए वह कीमत नीचे दी हुई कीमतों में से जो भी ज्यादा हो उससे कम नहीं होगी -

- i. रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत जो शेयर सौंपे जाएँ उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस; और
- ii. वह सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) [यदि कोई हो], जिसकी पेशकश अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा की गई हो।

स्पष्टीकरण- यदि अर्जनकर्ता के शेयरों की संख्या [‘आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों’ (पब्लिक शेयरहोल्डर) द्वारा सौंपे गए शेयरों को मिलाकर] नब्बे प्रतिशत से कम हो; तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की गणना सौंपे गए सभी शेयरों के आधार पर की जाएगी, और यदि कुल-मिलाकर शेयर नब्बे प्रतिशत के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएँ, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की गणना सौंपे गए शेयरों के नब्बे प्रतिशत तक के शेयरों के आधार पर की जाएगी।”

X. विनियम 23 में,

i. उप-विनियम (2) में,

1. खंड (क) में,-

- क) शब्दों “सौंपे गए इक्विटी शेयर” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “, यथास्थिति, रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के तहत या तय कीमत की प्रक्रिया के तहत या काउंटर ऑफर के तहत सौंपे गए इक्विटी शेयर” आ जाएँगे;
- ख) शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-II या अनुसूची-IV” हट जाएँगे;
- ग) शब्दों “इन विनियमों” के बाद दिए हुए शब्द तथा चिह्न “की, यथास्थिति,” हट जाएँगे;

घ) उप-खंड (i) में, शब्दों "रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया" के बाद और शब्दों "का परिणाम घोषित" से पहले, शब्द "या तय कीमत की प्रक्रिया" जोड़े जाएँगे;

2. खंड (ग) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया" के स्थान पर चिह्न तथा शब्द " , यथास्थिति, रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया या तय कीमत की प्रक्रिया" आ जाएँगे;

XI. विनियम 24 में,

i. उप-विनियम (1) में,

1. शब्दों तथा चिह्नों "अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा की गई हो और जिसका जिक्र सार्वजनिक घोषणा में किया गया हो]" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा की गई हो] या तय कीमत [जिसकी पेशकश इन विनियमों के विनियम 20क के उप-विनियम (1) के अनुसार अर्जनकर्ता द्वारा की गई हो], जिसका जिक्र सार्वजनिक घोषणा में किया गया हो," आ जाएँगे;

2. खंड (i) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "विनियम 22 के उप-विनियम (2) के अनुसार" के बाद और शब्दों "असूचीबद्धता के प्रस्ताव" से पहले, शब्द तथा अंक "या विनियम 20क के तहत बताई गई तय कीमत के अनुसार" जोड़े जाएँगे;

XII. विनियम 37 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ज) के बाद, मौजूदा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण—वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की गणना करने हेतु संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) वह तारीख होगी, जिस तारीख को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिविगेशन्स एंड डिसक्लोज़र रिक्वायरमेंट्स रेग्यूलेशन्स 2015] (समय-समय पर यथा-संशोधित) के विनियम 29 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को पूर्व सूचना देनी होती है।"

XIII. विनियम 38 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"भाग-ड

इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए विशेष प्रावधान

इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के अनुसरण में सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना

38क. (1) इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने के प्रति लागू नहीं होगी, जिसके इक्विटी शेयर न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्यूनल) के आदेश के अनुसार इंतजाम की स्कीम के अनुसरण में असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए जा रहे हों।

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार इक्विटी शेयरों को इस प्रकार असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया जाएगा -

- i. सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी अपने पास पड़े दूसरी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के इक्विटी शेयरों (जिनका मूल्य आनुपातिक आधार पर देनदारियों की रकम घटाकर निकाला जाएगा) को 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले अपने शेयरधारकों' को उसी अनुपात में देगी (ट्रांसफर करेगी), जिस अनुपात में उनके पास शेयर पड़े हुए हों;
- ii. सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के पास असूचीगत कंपनियों के जो अंडरलाइंग शेयर हों या उनमें और किन्हीं दूसरे असेट (यदि कोई हों) में उसने जो निवेश किया हुआ हो उसके बदले वह 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले अपने शेयरधारकों' को उसी अनुपात में नकद रकम (जिसका मूल्य आनुपातिक आधार पर देनदारियों की रकम घटाने के बाद निकाला जाएगा) अदा करेगी, जिस अनुपात में उनके पास शेयर पड़े हुए हों;
- iii. सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के जो शेयर 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों' (पब्लिक शेयरहोल्डर) के पास पड़े हुए हों, वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के तहत पूँजी घटाने के लिए अलग से लाई गई स्कीम

के अनुसार, अंडरलाइंग शेयर देने (ट्रांसफर करने) के बाद [जैसा ऊपर खंड (i) में जिक्र किया गया है] और नकद में रकम अदा किए जाने के बाद [जैसा ऊपर खंड (ii) में जिक्र किया गया है] समाप्त हो जाएँगे; और

iv. सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के पास आवेदन करेगी।

(3) उप-विनियम (1) के अनुसार सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने की अनुमति नीचे दी हुई शर्तें पूरी होने पर ही दी जाएगी:-

i. सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के उचित मूल्य के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत का निवेश सीधे तौर पर दूसरी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया गया हो;

स्पष्टीकरण: सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी का उचित मूल्य (देनदारियों की रकम को घटाकर) दो स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांककों (वैल्यूर) की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निकाला जाएगा, जिसमें इनका भी उल्लेख होगा -

क) जिन सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के शेयरों में बार-बार ट्रेडिंग होती हो उनमें (बारंबार व्यापारित शेयरों में) किए गए निवेश के मूल्य का, जो ट्रेडिंग के साठ दिनों की वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस के आधार पर निकाला गया हो;

ख) जिन सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के शेयरों में बार-बार ट्रेडिंग न होती हो उनमें और असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों में किए गए निवेश के उचित मूल्य का; और

ग) सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी की दूसरी संपत्तियों आदि (असेट्स) के उचित मूल्य का।

ii. सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स एंड डिसक्लोज़र रिक्वायरमेंट्स] के विनियम 11, विनियम 37 और विनियम 94 और उनके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन करेगी;

iii. ऐसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के शेयरधारकों की ई-वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों' (पब्लिक शेयरहोल्डर) द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या की कम से कम दुगुनी हो;

iv. हकदारी का अनुपात (इनटाइटलमेंट रेशियो) कैसे निकाला गया और हर शेयर पर कितनी रकम अदा की जाएगी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी (डिस्कलोज़र) शेयरधारकों की बैठक की सूचना (नोटिस) के साथ जारी किए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में दी जाएगी;

v. दो स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांककों से मिली संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट स्कीम के ड्राफ्ट (प्रारूप) के साथ स्टॉक एक्सचेंजों के पास आम जनता को जानकारी हेतु प्रस्तुत करनी होगी;

vi. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर से रिपोर्ट लेनी होगी, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि हकदारी का अनुपात (इनटाइटलमेंट रेशियो) सही है;

vii. सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी के शेयर कम से कम 3 वर्षों से सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों और असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का प्रस्ताव लाते समय वे निलंबित न हों;

viii. बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होलिंग कंपनी और उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के खिलाफ पिछले तीन वर्षों में कोई आदेश पारित न किए गए हों; और

- ix. इस प्रकार असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हुई सूचीबद्ध (लिस्टिड) इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक फिर से सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की मंजूरी नहीं दी जाएगी:

परंतु यह कि इस प्रकार उन्हें इन विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (3) और उप-विनियम (4) के अनुसार फिर से सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाएगा।

(4) इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) तभी की जा सकेगी जब वित्तीय क्षेत्र के उस विनियामक (रेग्यूलैटर) द्वारा निर्धारित की गई शर्तों आदि का पालन कर लिया जाए, जो उस इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी को विनियमित (रेग्यूलेट) करता हो।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./526/2024-25]

पाद टिप्पण :

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021-25 द्वारा, 10 जून, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्,-
- (1) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलैटरी सेंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/206.—In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 30, sub-section (1) of section 11 and sub-section (2) of section 11A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the provisions of these regulations shall be applicable to such delisting offers whose initial public announcement is made on or after the date of coming into force of these regulations:

Provided further that an acquirer may make the delisting offer in terms of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as they existed before the coming into force of these regulations till the sixtieth day from the date of publication of these regulations in the official gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, –

I. in regulation 2, in sub-regulation (1),

- i. after clause (l), the following clause shall be inserted, namely,-

“la) “fixed delisting price” means the fixed price offered by the acquirer for undertaking delisting of the equity shares of the company through fixed price process;”

- ii. the existing clause (m) shall be substituted by the following clause, namely,-

“(m) “floor price” means the minimum price offered by the acquirer in terms of regulation 19A of these regulations, while making the proposal for voluntarily delisting of the equity shares of the company;”

- iii. after clause (r), the following clause shall be inserted, namely,-

“(ra) “Investment Holding Company” means a company which holds investments in listed or unlisted companies or holding assets other than such investments;”

II. in regulation 14,

- i. the existing sub-regulation (1) shall be substituted by the following sub-regulation, namely,
- “(1) The acquirer shall open an interest bearing escrow account with a Scheduled Commercial Bank, not later than seven working days from the date of obtaining the shareholders’ approval, and deposit therein an amount equivalent to twenty-five percent of the total consideration, calculated as below –
- i. in case delisting is proposed through reverse book building process; the total consideration shall be calculated on the basis of the number of equity shares outstanding with the public shareholders multiplied with the floor price or the indicative price, if any given by the acquirer in terms of sub-regulation (4) of regulation 20 of these regulations; whichever is higher;
 - ii. in case delisting is proposed through the fixed price process; the total consideration shall be calculated on the basis of the number of equity shares outstanding with the public shareholders multiplied with the fixed delisting price offered by the acquirer.”
- ii. the existing sub-regulation (3) shall be substituted by the following sub-regulation, namely,
- “(3) Before making the detailed public announcement under regulation 15 of these regulations, the acquirer shall deposit in the escrow account, the remaining consideration amount being seventy-five percent of the total consideration amount calculated in terms of sub-regulation (1).”

III. in regulation 17,

- i. in the marginal heading, after the word “Bidding” and before the word “mechanism”, the symbol and word “/ tendering” shall be inserted;
- ii. in sub-regulation (1), the words “The bidding period shall start not later than” shall be substituted by the words and symbols “In case delisting is proposed through the reverse book building process or through fixed price process, the bidding period or the tendering period, as the case may be, shall begin within”;
- iii. in sub-regulation (2), after the words “shall facilitate” and before the words “tendering of shares”, the word “the” shall be inserted;
- iv. in sub-regulation (3), -
 1. after the words “reverse book building process” and before the words “is announced within two hours”, the words and symbols “or the fixed price process, as the case may be,” shall be inserted;
 2. after the words “bidding period” and before the symbol “.”, the words “or the tendering period” shall be inserted;
- v. the exiting sub-regulation (4) shall be substituted by the following sub-regulation, namely,-

“(4) The acquirer through the Manager to the offer shall, within two working days from the closure of the bidding period or the tendering period, make a public announcement in the same newspapers in which the detailed public announcement under sub-regulation (1) of regulation 15 of these regulations was made, of the success or failure of the fixed price delisting process or the reverse book building process and also disclose the discovered price accepted by acquirer, in the event of success of the reverse book building process.”

IV. in regulation 19,

- i. in the marginal heading, the words “reverse book building process” shall be substituted by the words “delisting process”;
- ii. in sub-regulation (1),
 - a) the word “Public” shall be substituted by the words “The public”;
 - b) after the words “participate in the” and before the words “reverse book building process”, the words “fixed price process or in the” shall be inserted;
- iii. in sub-regulation (3),
 - a) after the words “on the basis of” and before the words “underlying equity shares”, the word “the” shall be inserted;
 - b) the words “reverse book building” shall be substituted by the word “delisting”;
 - c) in the proviso, the words “reverse book building” shall be substituted by the word “delisting”;

V. after regulation 19, the following regulation shall be inserted, namely-

“Floor Price

19A (1) The floor price of the equity shares proposed to be delisted through reverse book building process or through fixed price process, as the case may be, shall not be less than the highest of the following:

- (i) volume weighted average price paid or payable for acquisitions by the acquirer along with persons acting in concert, during the 52 weeks immediately preceding the reference date;
- (ii) the highest price paid or payable for any acquisition by the acquirer along with persons acting in concert during the 26 weeks immediately preceding the reference date;
- (iii) adjusted book value (considering consolidated financials) as determined by an independent registered valuer:

Provided that adjusted book value shall not be applicable in case of delisting of Public Sector Undertakings.
- (iv) the volume weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the reference date on the stock exchange where the maximum trading volume of the equity shares is recorded, provided such shares are frequently traded;
- (v) the price determined by an independent registered valuer taking into account valuation parameters such as the book value, comparable trading multiples and any other customary valuation metrics for valuation of shares of companies in the same industry where the shares are not frequently traded.

Explanation: The adjusted book-value of the company shall be calculated as below –

$A+B+C+D - L$, where,

‘A’ shall be the book value of all the assets (other than jewellery, artistic work, shares & securities and immovable property) in the balance sheet as reduced by any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

‘B’ shall be the price which jewellery and artistic work would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer;

‘C’ shall be the fair market value of unquoted/infrequently traded shares and securities as determined considering the internationally accepted valuation methods by the registered valuer. If the shares and securities are quoted and frequently traded on any recognized stock exchange, the fair market value of such shares and securities shall be the transaction value as recorded in such stock exchange as on the valuation date;

‘D’ shall be the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property. In case immovable property is located outside India, market value of the property shall be determined by the independent registered valuer;

‘L’ shall be the book value of liabilities shown in the balance sheet, but not including the following amounts, namely:—

- the paid-up capital in respect of equity shares;
- the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such dividends have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company;
- reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;
- any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;
- any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares.

(2) The reference date for computing the floor price shall be –

- (i) the date of initial public announcement made by the acquirer, if such an announcement was made before the close of market hours; or
- (ii) the trading day next to the date of the initial public announcement, if such an announcement was made after the close of market hours or on a non-trading day.”

VI. in regulation 20,

i. in sub-regulation (1),

- a) the words and symbols “under sub-regulation (2)” shall be substituted by the words and numbers “in terms of regulation 19A of these regulations”;
- b) the words and symbol “, and the Manager to the offer shall disclose the same” shall be substituted by the words “ and shall be disclosed”;
- c) after the words “letter of offer” and before the symbol “.”, the words “by the Manager of the offer” shall be inserted;

ii. sub-regulations (2) and (3) shall be omitted;

iii. in sub-regulation (4), the words and symbols “sub-regulation (2)” shall be substituted by the words and numbers “regulation 19A of these regulations”;

VII. after regulation 20, the following regulation shall be inserted, namely-

“Fixed Delisting Price

20A (1) In case the acquirer has proposed delisting through fixed price process; the acquirer shall provide a fixed delisting price which shall be at least 15 percent more than the floor price calculated in terms of regulation 19A.

(2) The acquirer shall be eligible to undertake delisting through fixed price process only if the shares of the company are frequently traded.

(3) The acquirer shall be bound to accept the equity shares tendered or offered in the delisting offer, if the post-offer shareholding of the acquirer along with the shares tendered by the public shareholders reaches 90 percent at the fixed delisting price, offered by the acquirer.”

VIII. in regulation 21, in clause (a), after the words “discovered price” and before the words “or the counter offer price”, the words “or the fixed price” shall be inserted;

IX. in regulation 22,

- i. in sub-regulation (3), after the words “discovered price” and before the words “is higher than”, the words “pursuant to reverse book building process” shall be inserted;
- ii. the existing sub-regulations (4) and (5) shall be substituted by the following sub-regulations, namely,

“(4) In case of delisting through reverse book building process; a counter-offer may be made by the acquirer to the public shareholders, provided -

- i. the post-offer shareholding of the acquirer, along with the shares tendered by public shareholders, is not less than seventy-five percent; and
- ii. not less than fifty percent of the public shareholding has been tendered.

(4A) The counter-offer in terms of sub-regulation (4) may be made within two working days of the closure of the bidding period and thereafter the acquirer shall ensure compliance with the provisions of these regulations in accordance with the timelines provided in Schedule IV of these regulations.

(5) The counter offer price shall not be less than the higher of-

- i. volume weighted average price of the shares tendered/offered in the reverse book building process; and
- ii. the indicative price, if any, offered by the acquirer.

Explanation-If the cumulative shareholding of the acquirer, along with the shares tendered or offered by the public shareholders is less than ninety percent; the volume weighted average price shall be calculated taking into account all the shares tendered or offered and if the cumulative shareholding is equal to or higher than ninety percent, the volume weighted average price shall be calculated taking into account the shares tendered or offered up to ninety percent.”

X. in regulation 23,

i. in sub-regulation (2),

a) in clause (a),-

1. the words and symbol “tendered/offered”, shall be substituted by the words and symbols “tendered or offered under the reverse book building process or the fixed price process or the counter-offer, as the case may be,”;
2. the words “Schedule II or Schedule IV of ” shall be omitted;
3. The words “as the case may be”, appearing after the words “these regulations” and before the words and symbol “, shall be released”, shall be omitted;
4. in sub-clause (i),-
 - a. after the words “reverse book building process” and before the words “under sub-regulation (3) of regulation 17”, the words “or the fixed price process” shall be inserted;
 - b. the symbol “/” appearing between the words “tendered” and “offered” shall be substituted by the word “or”;

b) in clause (c), in sub-clause (i), after the words “reverse book building process” and before the words “under sub-regulation (3) of regulation 17”, the words and symbols “or the fixed price process, as the case may be, ” shall be inserted;

XI. in regulation 24,

i. in sub-regulation (1),

a) after the words “regulation 20 of these regulations” and before the words and symbol “, as stated in the public announcement”, the words “or fixed price offered by the acquirer in terms of sub-regulation (1) of regulation 20A of these regulations” shall be inserted;

b) in clause (i) thereof, after the words “regulation 22” and before the words “of these regulations”, the words “or in terms of fixed price as provided under regulation 20A” shall be inserted;

XII. in regulation 37, in sub-regulation (2), after clause (j), the existing Explanation shall be substituted with the following Explanation, namely,-

“Explanation —The reference date for computing the volume weighted average price would be the date on which the prior intimation is required to be given to the stock exchanges under regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.”

XIII. after regulation 38, the following regulation shall be inserted namely,-

“Part-E

SPECIAL PROVISIONS FOR DELISTING OF INVESTMENT HOLDING COMPANY

Delisting of equity shares of a listed investment holding company pursuant to a scheme of arrangement

38A (1) Nothing contained in these regulations shall apply to the delisting of equity shares of an investment holding company, pursuant to a scheme of arrangement by an order of a Court or Tribunal.

(2) Delisting of equity shares made under sub-regulation (1) shall be undertaken, in the following manner-

- i. the listed investment holding company shall transfer the equity shares (value as calculated on a net of pro-rata liabilities) held by it in other listed companies, to its public shareholders in proportion to their shareholding;
- ii. the listed investment holding company shall make payment in cash (value as calculated on a net of pro-rata liabilities) in exchange for the underlying shares or investments made by such investment holding company in unlisted companies and other assets, if any, to its public shareholders in proportion to their shareholding;
- iii. public shareholding of the listed investment holding company shall be extinguished upon transfer of the underlying shares mentioned at (i) and payment in cash mentioned at (ii), pursuant to a scheme for selective reduction of capital under Section 66 of the Companies Act, 2013, as amended from time to time; and
- iv. the listed investment holding company shall apply to the stock exchanges for delisting.

(3) The delisting of the equity shares of an investment holding company in terms of sub-regulation (1) shall be permitted, subject to the fulfilment of the following conditions :-

- i. the listed investment holding company shall have not less than seventy-five percent of its fair value comprising direct investments in equity shares of other listed companies;

Explanation: The fair value (net of liabilities) of the listed investment holding company shall be determined pursuant to a joint report by two independent registered valuers, which, inter-alia, shall include-

- a) value of investments of frequently traded shares of listed companies based on sixty trading days volume weighted average market price;
- b) fair value of investments of infrequently traded shares of listed companies and unlisted companies; and
- c) fair value of other assets of the listed investment holding company.
- ii. the listed investment holding company shall comply with regulations 11, 37 and 94 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Circulars issued thereunder;
- iii. there shall be e-voting by shareholders of such listed investment holding company wherein votes cast by public shareholders of the listed investment holding company in favour of the proposal are not less than two times the number of votes cast against it;
- iv. the material disclosures in relation to calculation of the entitlement ratio and per share consideration is included in the explanatory statement of the notice for the shareholders meeting;
- v. the joint valuation report obtained by two independent registered valuers shall be submitted to the stock exchanges along with draft scheme for disclosure to public;
- vi. the report from a chartered accountant or merchant banker confirming the entitlement ratio is obtained;
- vii. the shares of the listed investment holding company shall have been listed for not

- less than 3 years and shall not be suspended at the time of taking this route;
- viii. no adverse orders have been passed by the Board against the listed investment holding company and their promoters or promoter group in the last three years; and
- ix. the equity shares of the listed investment holding company so delisted, shall not be permitted to seek relisting for a period of three years from the date of delisting:

Provided that such relisting shall be in terms of sub-regulation (3) and (4) of regulation 40 of these regulations.

(4) The delisting of the equity shares of an investment holding company shall also be subject to the compliance with any requirement specified by any financial sector regulator with whom such investment holding company is regulated.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./526/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on June 10, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021-25.
2. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 were subsequently amended on, –
 - (2) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.